वित्तीय सेवाएं विभाग ने सरकारी स्वास्थ्य सेवा लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की

यह वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा कवरेज का विस्तार करके मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की पूरक है

प्रविष्टि तिथि: 14 JAN 2026 7:26PM by PIB Delhi

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने आज सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की। यह योजना कैशलेस सुविधा, आधुनिक उपचार और अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करती है।

पात्रता और कवरेज: यह पॉलिसी विशेष रूप से सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिसमें प्रति पॉलिसी अधिकतम छः सदस्य हो सकते हैं। यह भारत के भीतर भर्ती होने पर क्षतिपूर्ति-आधारित कवरेज प्रदान करती है, जिसमें ₹10 लाख या ₹20 लाख के बीमा राशि विकल्प उपलब्ध हैं। इस उत्पाद में सह-भुगतान घटक शामिल है, जिससे लाभार्थियों को बीमा कंपनी और ग्राहकों के बीच 70:30 या 50:50 के को-शेयरिंग का विकल्प चुनने की सुविधा मिलती है।

मुख्य विशेषताएं:

- सामान्य कक्ष और आईसीयू के लिए प्रतिदिन का किराया बीमा राशि का 1% और 2% तक सीमित है।
- अस्पताल में भर्ती होने से पहले 30 दिनों और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 60 दिवस का कवरेज उपलब्ध है।
- अस्पताल में भर्ती होने पर आयुष उपचार बीमा राशि के 100% तक कवर किया जाता है।
- आधुनिक उपचार बीमा राशि के 25% तक कवर किया जाता है, साथ ही 100% कवरेज के लिए एक वैकल्पिक राइडर भी उपलब्ध है।
- प्रत्येक दावा-मुक्त वर्ष के लिए 10% का संचयी बोनस, बीमा राशि के अधिकतम 100% तक।
- नियमित पॉलिसी की तुलना में, यह 70:30 और 50:50 प्रीमियम को-शेयरिंग के लिए क्रमशः 28% और 42% की छूट पर उपलब्ध होगी।

यह वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना सभी सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए खुदरा उत्पाद के तौर पर उपलब्ध होगी, और अधिकतम सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मौजूदा लाभों के पूरक के रूप में डिजाइन की गई यह उन्नत पॉलिसी, पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक अधिक लचीलापन और विस्तारित पहुंच प्रदान करते हुए, एक सहज अनुभव प्रदान करेगी, जिससे सभी सीजीएचएस लाभार्थियों को आसानी और आत्मविश्वास के साथ अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

यह जल्द ही न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यालयों और ऑनलाइन मंच के माध्यम से खरीद के लिए उपलब्ध होगा।

***

पीके/केसी/एमएम/एसएस

(रिलीज़ आईडी: 2214737) आगंतुक पटल : 1244
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Gujarati , Tamil , Malayalam